# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

## पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 81 / 2017 / अपील

1 अशोक सिंह पुत्र श्री समुन्द्र सिंह उम्र 35 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर(राज0)

2 राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री माल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज0)

अपीलान्ट्स

बनाम

1 श्रीकान्त शर्मा पुत्र श्री बद्री प्रसाद
2 रूड़मल शर्मा पुत्र श्री लक्ष्मीकांत
3 कुलदीप पुत्र श्री रमाकान्त
4 प्रदीप पुत्र श्री रमाकान्त
} समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

5 बजरंग सिह पुत्र श्री नारायण सिंह
6 करण सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह
} समस्त जाति राजपूत निवासीगण मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

7 नायब तहसीलदार, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 02.08.1958 वाके ग्राम मावण्डा कला द्वारा नायब तहसीलदार नीमकाथाना**

वकील अपीलांट श्री अमरसिंह सुण्डा
वकील रेस्पोडेंट श्री लक्ष्मणसिंह सुण्डा

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

निर्णय

दिनांकः–28.05.2018

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि ग्राम मावण्डा कला पटवार हल्का मावण्डा कला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में भूमि खसरा नम्बर पुराना 680 रकबा 61 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नम्बर 680 / 1298 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा किस्म बंजड़ जिसके नये खसरा नम्बर 142 रकबा 1.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 143 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 144 रकबा 9.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 151 रकबा 4.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 210 रकबा 2.02 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 211 रकबा 2.53 हैक्टर किस्म बंजड़ अवस्थित है जो वर्तमान में रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 6 के नाम खातेदारी में दर्ज है। पुराने खसरा नम्बर 680 रकबा 61 बीघा 3 बिस्वा खसरा नम्बर 680 / 1298 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा ग्राम मावण्डा कला की खातेदारी सन 1958 से पहले शामलात चारों पाना के नाम से दर्ज बंजड़ थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का नामान्तकरण दिनांक 02.08.1958 के द्वारा शामलाती चारों पानों के बजाय रामकुमार पुत्र प्रहलाद ब्राह्मण के नाम से

चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण की कृषि जो शामलाती चारों पाना के हिस्से से कब्जे की जिसे शामलाती चारोपाना अपने मवेशियों के लिए सदा से ही बंजड़ छोड़ रखी है और आज भी उक्त बंजड़ भूमि में चारोंपाना के उत्तराधिकारियों के कब्जे में है, और सभी उक्त भूमि को अपने मवेशियों के चराने के काम में ले रहे है, रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 6 का आज भी उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं है। खसरा नम्बर 680 रकबा 61 बीघा 3 बिस्वा बंजड़ भूमि नामान्तकरण भरने से पूर्व शामलाती चारों पाना तथा कृषक शिशराम पाना, बिहारीपाना, जयसिंहपाना, आनन्दपाना के नाम दर्ज थी तथा खसरा नम्बर 680/1298 रकबा 15 बीघा 19 बिस्वा बंजड़ रामकुमार पुत्र प्रहलाद ब्राहम्ण के नाम दर्ज थी, फिर भी योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार तत्कालीन ने बिना कोई जांच किये ही दोनों खसरा नम्बरों का नामान्तकरण रामकुमार पुत्र प्रहलाद ब्राहम्ण के नाम तस्दीक कर सख्त कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 2 दिनांक 02.08.1958 ग्राम मावण्डा कला तहसील नीमकाथाना को निरस्त करने की कृपा करें।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. की प्रारम्भिक आपत्ती मियाद के सम्बंध में है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्ष 1958 में दर्ज हुए नामान्तकरण की अपील लगभग 60 वर्ष पश्चात करने के विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया गया है। लिहाजा अपील खारीज किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपील के सलंग्न प्रस्तुत आवेदन धारा 5 मियाद अधिनियम के अवलोकन करने पर आवेदन में चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण की अपील लगभग 60 वर्ष पश्चात करने के सम्बंध में कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण के विरूद्व अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलांट के क्या हित निहित है, इस सम्बंध में अपीलांट द्वारा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण में वर्णित कृषक/काश्तकार से अपीलांट के क्या सम्बंध है, इस हेतु अधिवक्ता अपीलांट ने किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है एवं अपील मेमों मे सजरा तक अंकित नहीं किया है। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष के तर्कों के मध्यनजर प्रकरण पर गौर किये जाने के उपरांत यह जाहीर है कि प्रकरण नामान्तकरण से सम्बंधित है नामान्तकरण तस्दीक करने के लिए विधिक प्रावधान व विधिक प्रकिया निर्धारित है। विधिक प्रावधान की अनभिज्ञता विलम्ब क्षमा किये जाने का उचित आधार नहीं है। अतः प्रार्थना-पत्र में विलम्ब के युक्तियुक्त आधारों का खुलासा नहीं होने के कारण विलम्ब क्षमा किये जाने का अनुदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट मियाद की समयावधी में नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 28.05.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/5/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official